

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन : 462026

क्रमांक ...१०...../अकादमी(पात्रता)/2019

भोपाल, दिनांक ^{०७}/~~१०~~/^{०८}/2019

अधिसूचना

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि समन्वय समिति की 94 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के परिपालन में म.प्र. शासन, (उच्च शिक्षा विभाग) के निर्देशानुसार निम्नांकित व्यवस्थाएँ प्रभाव शील है:-

1. जिन विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमिस्टर की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर ली है, वे वार्षिक पद्धति के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकेंगे।
2. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सत्र 2018-19 तक स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
3. पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि सम्बन्धी प्रावधान म0प्र0 शासन, (उच्च शिक्षा विभाग) के पत्र क्रमांक (1868/198/सीसी/17/38 भोपाल दिनांक 09/10/2017) एवं इसके परिपालन में जारी विश्वविद्यालय की अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानुसार लागू होंगे।
4. यह प्रावधान मात्र सामान्य पाठ्यक्रमों पर लागू होगा न कि विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों पर।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक ०७/०८/2019

क्रमांक ...११...../अकादमी(पात्रता)/2019

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
4. कुलसचिव जी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
5. निज नस्ती।

सहायक कुलसचिव(अकादमी)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

3906/1921
8/8/19

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.) पिन : 462026

क्रमांक ..४४...../अकादमी(पात्रता)/2019


भोपाल, दिनांक 07/08/2019

अधिसूचना

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थी म.प्र. शासन उच्च शिक्षा के आदेश क्रमांक 811/484/आउशि/शाखा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2018 के बिन्दु क्रमांक 2.6.2(ग) के प्रावधानानुसार प्रदेश के पारम्परिक विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध सभी शिक्षण संस्थाओं में द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण तथा नियमित से स्वाध्यायी एवं स्वाध्यायी से नियमित परीक्षा का स्टेटस परिवर्तन किये जाने हेतु केवल On-line आवेदन शुल्क राशि रुपये 300/- (रुपये तीन सौ मात्र) के साथ प्रस्तुत करने पर स्वीकार किये जावेंगे।

1. द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक ही होंगे।
2. स्वाध्यायी से नियमित छात्र केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि तक स्टेटस बदल सकते हैं।
3. नियमित से स्वाध्यायी छात्र परीक्षा फार्म भरने तक अपना स्टेटस बदल सकते हैं।

निर्धारित प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.bubhopal.ac.in पर उपलब्ध है, स्थानान्तरण हेतु संबंधित दोनों संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल दिनांक 07/08/2019

पृ. कं. ४९...../अकादमी(पात्रता)/2019

प्रतिलिपि:-

1. विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
4. कुलसचिव जी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
5. निज नस्ती।


सहायक कुलसचिव(अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

3907/412/1
21/8/19

पारम्परिक विश्वविद्यालयों की सूची

संशोधित अधिसूचना क्रमांक 71/अकादमी(पात्रता)/2019 भोपाल
दिनांक 06/05/2019 के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के
उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पात्रता से छूट रहेगी ।

1. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
 2. देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय इन्दौर ।
 3. विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन ।
 4. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ।
 5. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ।
 6. जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर ।
 7. महाराजा छत्रशाल विश्वविद्यालय छतरपुर ।
-